LAL SHARMA
Advocate
Registration 4575/91

3828

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

30 APR 2014

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 755580

Chief Treasury Officer

<u>किरायानाम मियादी 30 साल, जिस पर कुल स्टाम्प अंकन 4800/–रूपये का अदा किया गया है।</u>

हम कि **श्री ओमप्रकाश व श्री योगेन्द्र सिंह** पुत्रगण श्री रामदत्त निवासी ग्राम करहैडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद प्रथम पक्ष सम्पत्ति मालिक———प्रथम पक्ष (सम्पत्ति मालिक) पहचान पत्र सख्या–411413029420 (आधार कार्ड), FVX3923786 (वोटर कार्ड)

एवंम्

मिल्टन एजुकेशन एण्ड सोशल डवलपमेन्ट 186 करहैडा मोहनगर गाजियाबाद द्वारा प्रबन्धक श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामदत्त निवासी ग्राम करहैडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद द्वितीय पक्ष किरायेदार। FVX3923786 (वोटर कार्ड)

इस अनुबन्ध मे प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के वारसान स्थानापन्नं वैधानिक प्रतिनिधिगण आदि भी समल्लित समझे जावेगे,

[signatures]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 755581

Chief Treasury Officer

विदित हो कि भूमि क्षेत्रफल 5098 वर्ग गज यानी 4263 वर्ग मीटर निम्न सीमा समबन्धित खसरा नम्बर–624 क्षेत्रफल 1520 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर–625 क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर–599 क्षेत्रफल 1243 वर्ग मीटर स्थित ग्राम करहैडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के हम प्रथम पक्ष मालिक व काबिज व सकंमणीय भूमिधर है। तथ इस भूमि में राजस्व अभिलेखों में स्कूल अंकित हैं उक्त भूमि आज दिन तक हम प्रथम पक्ष की ओर से हर प्रकार के बंधक भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है हम प्रथम पक्ष की उक्त सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष अंकन 20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) प्रति वर्ष के हिसाब से 30 साल यानी दिनांक 08.05.2014 ये वाजिद मुददत 30 साल यानी दिनांक 07.05.2044 तक के लिये किराये पर ले रहा है, और प्रथम पक्ष मालिक ने किराये पर दी हैं निम्नलिखित शर्तो की पाबन्दी दोनो पक्ष व वारासान पक्षकार पर रहेगी।

1. यह कि तय शुदा किरायेदारी में कमी बेशी करने का अधिकार किसी पक्ष को नहीं होगा, तथा किरायेदारी दोनो पक्षों को मान्य है।

2. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति की किरायेदारी की मियाद 30 साल दिनांक 08.05.2014ई0 से आरम्भ होकर दिनांक 07.05.2044ई0 को समाप्त हो जायेगी। तथा मियाद समाप्ति के पश्चात उक्त भूमि को किरायेदारी से खाली करके कब्जा द्वितीय पक्ष मालिक के सुपुर्द कर देगें।

Yogesh Singh Yogesh Singh

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

30 APR 2014

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 755578

Chief Treasury Officer

-: 4 :

6. यह कि उक्त भूमि में बिल्डिंग का निर्माण करके बिजली का कनैक्शन लेने का अधिकार द्वितीय पक्ष किरायेदार को अपने नाम से लेना होगा। तथा बिल बिजली की अदायगी मीटर के अनुसार किरायेदार स्वंय अदा करेगे।

उक्त वर्णित में से करीब 1000 वर्ग मीटर में कमरे निर्मित है, शेष खाली है।

ATTESTED

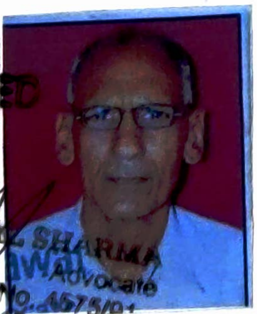

MUKUT LAL SHARMA
Advocate
Registration No. 4575/01
GHAZIABAD

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

GHAZIABAD 16 APR 2014 Chief Treasury Officer

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH T 550054

7. यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदार ने प्रथम पक्ष मालिक को एक साल का किराया अंकन 20,000/–रुपये एडवांस दे दिये है। मियाद सम्पत्ति के बाद किराया समायोजित कर लिया जायेगा।

8. यह कि भूमि मालिक ने रियेदार से कोई जमानत राशी प्राप्त नही की हैं

Yogendra Singh Yogendra Singh

ATTESTED

MUKUT
Registration
GHAZIABAD

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

GHAZIABAD TREASURY
15 APR 2014
Chief Treasury Officer

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BK 180139

9. यह कि किरायेदार उक्त भूमि को स्कूल हेतू प्रयोग करेगें। यदि इस कार्य पर किरायेदार पर कोई टैक्स व रिकवरी आदि बनती है तो उसकी समस्त जिम्मेंदारी किरायेदारी की होगी।

10. यह कि किरायेदार उक्त भूमि में कोई ऐसा व्यवसाय नही करेगें जिस पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध हों।

Yogendra Singh Yogendra Singh

ATTESTED
MUKUT L... SHARMA
Advocate
Registration No. 4575/91
GHAZIABAD

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 180141

GHAZIABAD 15 APR 2014 Chief Treasury Officer

-: 7 :

11. यह कि यदि किरायेदार को अपने जरूरत के लिये अन्य निर्माण की आवश्यकता होगी तो भूमि मालिक की सहमति से निर्माण कर सकते है ओर समय समाप्ति के बाद अपने मलबें को स्वंय उठा कर ले जायेगें।

अतः यह किरायेदारी अनुबन्ध पत्र आज दिनांक 08.05.2014 को स्थान गाजियाबाद मे हम दोनो पक्षकारान ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा मे सोच

Yogendra Singh

Yogendra Singh

ATTESTED

MUKUT LAL SHARMA
Advocate
Registration No. 4575/91
GHAZIABAD

ATTESTED

MUKUT LAL SHARMA
Advocate
Registration No. 4575/91
GHAZIABAD

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 180140

GHAZIABAD

Chief Treasury Officer

-: 8 :

समझ कर बिना किसी दबाव व बहकाव के समक्ष गवाहान के तहरीर व तकमील करा दिया कि सनद रहे ओर समय पर काम आवे।

....

गवाहः—योगेश पुत्र श्री योगेन्द्र सिह निवासी ग्राम करहैडा तहसील व जिला गाजियाबाद।

गवाहः—सचिन शर्मा पुत्र स्व0 श्री सेवा राम शर्मा चैम्बर नं0 60 तहसील व जिला गाजियाबाद।

मसौदा मुकुट लाल शर्मा एडवोकेट, चैम्बर नं0 60 तहसील व जिला गाजियाबाद।

MUKUT LAL SHARMA
Advocate
Registration No. 4575/91
GHAZIABAD